

ऑपरेशनल ऑफिस कंप्लेक्स, चिरंजीबपुर, हल्दिया-721604, जिला-पूर्व मेदिनीपुर. श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT, KOLKATA

हल्दियागोदीपरिसर HALDIA DOCK COMPLEX शिपिंगएंडकार्गोहैंडलिंगप्रभाग T.O. (Sh&CH) Division





Operational Office Complex, Chiranjibpur, Haldia-721604, Dist. Purba Medinipur.





व्यापारिक परिपत्र/ TRADE CIRCULAR

पत्तन प्राधिकरण के निर्देशानुसार एतद्द्वारा हिल्दया डॉक कॉम्प्लेक्स के कोयला, कोक और मैंगनीज अयस्क के सभी आयातकों को सादर सूचित किया जाता है कि यदि उनके द्वारा उनके कार्गों की कोई भी मात्रा स्थानीय उद्योग को डिलीवरी या हिल्दया नगर पालिका क्षेत्र में अवस्थित किसी भूखंड/गोदाम/वेयरहाउस में भंडारण किया जाता है, तो इस स्थानीय डिलीवरी की अग्रिम अनुमित उप प्रबंधक (शिपिंग एवं कार्गों हैंडलिंग),डॉक कार्यालय से प्राप्त करने की आवश्यकता है। अनुमित प्राप्त करने के लिए आयातकों को कार्गों के स्थानीय डिलीवरी के पर्याप्त दस्तावेज उप प्रबंधक (शिपिंग एवं कार्गों हैंडलिंग),डॉक कार्यालय में जमा करने होंगे। यदि कोई पत्तन प्राधिकरण से अग्रिम अनुमित प्राप्त किए बिना कार्गों (कोयला, कोक और मैंगनीज अयस्क) की स्थानीय उद्योग को डिलीवरी या हिल्दया नगर पालिका क्षेत्र में अवस्थित किसी भूखंड/गोदाम/वेयरहाउस में भंडारण करता हुआ पाया जाता है, तो सम्बंधित वाहन, ट्रांसपोर्टर, आयातक के प्रतिनिधि, कार्गों के ऐसे अनिधकृत हस्तांतरण में शामिल कोई अन्य व्यक्ति/संस्था के खिलाफ भविष्य में डॉक के अंदर प्रवेश करने से रोकने सिहत आवश्यक कार्रवाई की पहल पत्तन प्राधिकरण द्वारा की जा सकती है।

यह परिपत्र 10.04.2023 से प्रभावी होगा।

उपरोक्त निर्देश का सभी सम्बंधित पक्षों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

বন্দর কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্দেশিত অনুযায়ী এতদ্বারা হলদিয়া ডক কমপ্লেক্সে কয়লা, কোক এবং ম্যাঙ্গানিজ আকরিকের সমস্ত আমদানিকারকদের জানানো হচ্ছে যে যদি তাদের পণ্যগুলির কোনো পরিমাণ স্থানীয় শিল্পে রাস্তার মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় বা হলদিয়া পৌরসভা এলাকার মধ্যে অবস্থিত প্লট/গোডাউন/গুদামে সংরক্ষণ করা হয়, তাহলে অগ্রিম। পণ্যসম্ভারের স্থানীয় স্থানান্তরের জন্য ডেপুটি ম্যানেজার (Sh&CH), ডক অফিস এর অফিস থেকে অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন। আগামী 10.04.2023 থেকে এই ধরনের অনুমতি প্রাপ্তির জন্য আমদানিকারকদের এই জাতীয় কার্গো স্থানান্তরের সমর্থনে পর্যাপ্ত নথি সরবরাহ করতে হবে।

আগামী 10.04.2023 তারিখ থেকে যদি কোনো পণ্যসম্ভার (কয়লা, কোক এবং ম্যাঙ্গানিজ আকরিক) বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আগাম অনুমতি না নিয়ে স্থানীয়ভাবে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে ক্রটিযুক্ত যানবাহন, পরিবহনকারীর বিরুদ্ধে, আমদানিকারকের প্রতিনিধি বা অন্য কোনো ব্যক্তি/সত্ত্বার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে ডকের ভিতরে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে।

উপরোক্ত নির্দেশ সংশ্লিষ্ট সকলকে কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

This is hereby informed as per directive of Port Authority to all Importers of Coal, Coke and Manganese Ore at Haldia Dock Complex that if any quantity of their cargo is delivered through road to a local industry or stored in a plot/godown/warehouse situated within Haldia Municipality Area, an advance permission for local transfer of the cargo is required to be obtained from the office of Deputy Manager

(Sh & CH), Dock Office w.e.f. 10.04.2023. The Importers are required to provide sufficient documents in support of such local transfer of cargo for obtaining such permission.

If any cargo (Coal, Coke and Manganese Ore) is found to have been transferred locally from 10.04.2023 onwards without obtaining advance permission from Port Authority, necessary action including debarring from entering inside the Dock in future, against the erring vehicle, Transporter, Importer's representative or any other person/ entity involved in such unauthorized transfer of cargo, may be initiated by Port Authority.

The above communication to be strictly followed by all concerned.

(P. Gupta)

Sr. Deputy Manager (Sh&CH)

Distribution:

- All Importers of Coal, Coke and Manganese Ore through HDC/ C&F Agents: for information please.
- · All Transporters involved in delivery of Coal, Coke and Manganese Ore: for information please
- Notice Boards of Permit Office, Main Gate, Delivery rooms at UMA Weighbridge I & II, Dock Office Notice Board, CJP Notice Boards.
- Copy to General Manager (Traffic) for information please.
- Copy to Deputy Manager (Sh&CH), G.C. Berth for information please.